भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
THE NATIONAL STANDARDS BODY OF INDIA
मानक पथप्रदर्शक

पटना शाखा कार्यालय एवं प्रयोगशाला, पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण, पटना - 800 013
Patna Branch Office & Laboratory, Patliputra Industrial Estate, Patna - 800013
e-mail : ptbo@bis.gov.in, hptbo@bis.gov.in

दूरभाष / Phones: 2262808, 2262305, 2271625
फैक्स / Fax: +91-612-2262305, 2275342
तार / Grams : मानकसंस्था / Manaksanstha

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक - 14/11/2017

भारतीय मानक ब्यूरो के पटना शाखा कार्यालय को सूचना मिली थी कि सम्पतचक, पटना में पैकेजबंद पेयजल निर्माता भारतीय मानक ब्यूरो से बिना लाइसेंस प्राप्त किए अवैध रूप से आईएसआई मार्क पैकेजबंद पेयजल का निर्माण एवं विक्रय कर रहे हैं ।

इस आधार पर कार्यालय प्रमुख द्वारा एक विशेष छापेमारी दस्ता का गठन किया गया एवं तलाशी एवं जब्ती अभियान हेतु दिनांक -14/11/2017 को दस्ते दल को भेजा गया । छापेमारी के दौरान मेसर्स - स्नेही बेवरेजस, ग्राम एवं पोस्ट - सेना गोपालपुर, जिला- पटना द्वारा पैकेजबंद पेयजल पर भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करते हुए पाया गया ।

छापेमारी के दौरान उपरोक्त फर्म के पास भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित आईएसआई मार्क पैकेजबंद पेयजल पाया गया जिसको दस्ते दल ने जब्त एवं सील किया ।

अवैध रूप से निर्मित पैकेजंबद पेयजल का नमूना दस्ते दल ने जब्त एवं सील कर अपने पास सबूत के तौर पर रखा ।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के नियमों के तहत आईएसआई मार्क के दुरुपयोग पाए जाने पर तथा इसकी कोर्ट की सत्यापन होने पर कम से कम रु. 2,00000/- का जुर्माना तथा उत्पादनकर्ता को दो वर्ष की सजा या दोनों दिया जा सकता है । भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने में इस तरह का अभियान गुप्त सूचना के आधार पर, अपने सौजन्य से एवं अन्य आधार पर करता रहता है। उक्त फर्म के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

14.11.17

(केसीएस बिष्ट)
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख